अपील सूचना अधिकार संख्या 83/2017 अनवानी श्री राकेश जोशी पुत्र श्री वेद प्रकाश जोशी मकान न. 1, गली नम्बर 2 पूजा कालोनी, श्रीगंगानगर बनाम लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर
83/17

22–11–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राकेश जोशी उपस्थित है। सामान्य शाखा से प्राप्त प्रतिवेदन संख्या 12438 दिनांक 10/16.11.2017 शामिल पत्रावली किया गया। अपीलार्थी को सुना गया।

अपीलार्थी श्री राकेश जोशी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा जान बूझकर अधूरी सूचना उपलब्ध करवाई गई है जो उसे पूर्ण रूप से सूचना उपलब्ध करवाने के लिए लोक सूचना अधिकारी को आदेश प्रदान किया जावे एवं उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जावे व क्षतिपूर्ति दिलाये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राकेश जोशी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 01.09.2017 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टार कार्यालय, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:–

1-Minutes of meeting of montering committe distt. collector office as per court direction vide case PIL 12876/2011 ved parkash joshi v/s gov. of Rajasthan.
2- Action taken by Nagar parishad & UIT Sriganagnagar remeet of encrachment from feb. 2017 to August 2017

3- Action plan of removal of encroachment committe.

अपीलार्थी के अपील पत्र अतिरिक्त जिला कलक्टर(सतर्कता) श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन सं0 एफ40(33)( )सामान्य/2.17/12438 दिनांक 10/16.11.2017 प्रस्तुत किया है कि आवेदक का आवेदन पत्र उनके अनुभाग में दिनांक 06.09.2017 को प्राप्त हुआ है जिसमें उसके द्वारा चाही गई 3 बिन्दुओ की सूचना में से बिन्दु सं0 1 की 10 पृष्ठ की सूचना 20रूपये की राशि जमा करवाकर उपलब्ध करवा दी गई है। शेष बिन्दु सं0 2 व 3 की सूचना का संबंध नगर परिषद श्रीगंगानगर व नगर विकास न्यास श्रीगंगानगर से संबंधित होने के कारण पत्र सं0 10007–10008 दिनांक 19.06.2017 से आवेदन पत्र की प्रति सूचना उपलब्ध करवाने के लिए उन्हें प्रेषित कर दी गई है। उनके द्वारा सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस के दौरान अपीलार्थी ने स्वीकार किया कि बिन्दु संख्सा 1 की सूचना उसे प्राप्त हो चुकी है। बिन्दु संख्या 2 व 3 की सूचना प्राप्त नही हुई है जो उसे उपलब्ध करवाई जावे।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दु संख्या 2 व 3 की सूचना का संबंध नगर परिषद, श्रीगंगानगर व नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर से है इस संबंध में अपीलार्थी को बिन्दू सं0 2 व 3 की सूचना के लिए उक्त दोनो कार्यालयों में चाराजोही करनी चाहिए। उक्त दोनो कार्यालयों के अपील अधिकारी निम्न हस्ताक्षरकर्ता नही है। यदि उक्त दोनो विभागो द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है तो अपीलार्थी को उनके सक्षम अपील अधिकारी के समक्ष ही अपील प्रस्तुत करनी चाहिए। अपीलार्थी की अपील पर यहां से कोई कार्यवाही अपेक्षित नही होने से खारिज करने योग्य है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति आयुक्त नगर परिषद श्रीगंगानगर व सचिव नगर विकास न्यास श्रीगंगानगर को इस निर्देश के साथ भिजवाई जाती है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दु संख्या 2 व 3 की सूचना नियमानुसार अपीलार्थी को आदेश प्राप्ति से 7 दिवस के भीतर उपलब्ध करवावें। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी सामान्य शाखा जिला कलक्टर कार्यालय, श्रीगंगानगर व अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

2089-92
06/12/17

यह आदेश आज दिनांक 22.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर